इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 मई, 2011—वैशाख 13, शक 1933

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई, 2011

क्र. एफ-14-17-2005-बयालीस-1.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी तथा फार्मेसी में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी डिप्लोमाधारकों/विज्ञान स्नातकों (गणित विषय सहित) के प्रवेश हेतु नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में,—

(एक) उपनियम (1) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(क) पूर्व शैक्षणिक वर्ष के स्वीकृत इनटेक (अधिसंख्य) से अधिकतम 20 प्रतिशत स्थान लेटरल एन्ट्री स्कीम के माध्यम से प्रवेश हेतु उपलब्ध होंगे.

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त ए आई सी टी ई द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भी रिक्त स्थान उपलब्ध हो सकेंगे.".

(दो) उपनियम (2) में,

(क) खण्ड (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(ग) **बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश.**—अभ्यर्थी को ए आई सी टी ई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी की किसी उपयुक्त शाखा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एससी. उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा गणित के साथ बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

(घ) **बी. फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश.**—अभ्यर्थी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी संस्था से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

(ङ) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमोलयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता का मानदण्ड, अर्हकारी परीक्षा में कुल मिलाकर 45 प्रतिशत अंकों का होगा.''.

(ख) खण्ड (च) का लोप किया जाए.

(तीन) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(3) (क) **स्थानों का आवंटन.**—आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को परामर्श में निम्नलिखित क्रम से बुलाया जाएगा ताकि आरक्षित स्थानों को पारस्परिक रूप से इस क्रम में संपरिवर्तित किया जा सके, अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति. आरक्षित प्रवर्ग के उपरोक्त परामर्श में स्थानों के आवंटन के पश्चात् रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों का परामर्श प्रारंभ होगा. आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने अनारक्षित प्रवर्ग की गुणागुण (मेरिट) सूची में भी स्थान प्राप्त किया है, अनारक्षित प्रवर्ग की संस्था/शाखा का चयन करने का विकल्प होगा. यदि आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी अनाराक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के विरुद्ध उनके गुणागुण के अनुसार प्रवेश लेते हैं तो उन्हें अनारक्षित प्रवर्ग का गिना जाएगा.

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने बी.एससी. परीक्षा उत्तीर्ण की हो, डिप्लोमाधारकों को प्रवेश देने के पश्चात् शेष रिक्त स्थानों पर प्रवेश देने के लिए विचार किया जाएगा.'';

(चार) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(4) **चयन पद्धति.**—राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार सम्यक् रूप से घोषित सक्षम प्राधिकारी, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर एक गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार और अधिसूचित करेगा. अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक गुणवत्ता (मेरिट) अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देकर विनिश्चित की जाएगी. उस दशा में जहां कि अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंक भी बराबर हों, अधिक आयु के अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी.'';

(पांच) उपनियम (5) में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''क इंजीनियरिंग (टेक्नालॉजी) सहित तथा फार्मेसी में पूर्व स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्थापित करने वाले समस्त महाविद्यालयों/संस्थाओं में प्रवेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अंतिम वर्ष की अर्हकारी परीक्षा के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर तैयार की गई क्रम स्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यता क्रम में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा.''.

(ख) खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ङ) अंतिम वर्ष की अर्हकारी परीक्षा के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर तैयार की गई गुणागुण सूची के आधार पर केन्द्रीयकृत/ विकेन्द्रीयकृत आन लाईन परामर्श का एक चरण आयोजित करने के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रह जाएं तो प्रवेश की अंतिम तारीख के पूर्व सक्षम प्राधिकारी के सम्यक् अनुमोदन से संस्थागत स्तर पर परामर्श संचालित किया जा सकेगा.''.

(घ) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ट) उस दशा में, जबकि आन लाईन ऑफ कैम्पस प्रणाली द्वारा परामर्श संचालित किए जाने का विनिश्चिय किया जाता है, यह प्रवेश नियम, 2008 के नियम 7 के उपनियम (12) के उपबंधों के अनुसार संचालित किया जाएगा.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई, 2011

क्र. एफ-14-17-2005-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी तथा फार्मेसी में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी डिप्लोमा धारकों/विज्ञान स्नातकों (गणित विषय सहित) के प्रवेश हेतु नियम, 2007 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 3 May 2011

No. F-14-17-2005-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Admission Rules for admission of Engineering/Pharmacy Diploma holders/Science Graduates (with Mathematics) through Lateral Entry in Second Year (Third semester) of under graduate courses in Engineering/Technology and Pharmacy Rules, 2007, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 4,—

1. In sub-rule (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

" (a) Maximum 20 percent seats over and above the sanctioned intake (supernumerary) of previous academic year shall be available for admission through lateral entry scheme.

(b) In addition to above vacant seats may also be available in accordance with the instructions issued by AICTE from time to time.".

(ii) in sub-rule (2),

(a) for clauses (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:—

" (c) **Admission to B.E. Course.**—A candidate must have passed the diploma examination in appropriate branch of Engineering/Technology from an Institution recognized by AICTE with minimum 50 percent marks or must have passed B.Sc. Degree examination from an university recognized by the University Grants Commission with minimum 50 percent marks and have passed 12th examination with mathematics.

(d) **Admission to B. Pharmacy Courses.**—A Candidate must have passed diploma examination in Pharmacy from an institution approved by the AICTE with minimum 50 percent marks.

(e) Eligibility criteria for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes (excluding creamy layer) of Madhya Pradesh as notified by the State Government shall be 45 percent in the aggregate marks in qualifying examination.":

(b) clause (f) shall be omitted.

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (3) (a) **Allocation of seats.**—Candidates, belonging to reserved category shall be called in counseling in the following order so that the reserved seats may be converted mutually in the order, that is, Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class, Scheduled Tribes/ Scheduled Castes.After allocation of seats in the aforesaid counseling of reserved category, the vacant seats, if any, shall be converted into unreserved seats and then the counseling for unresrved seats shall commence. Such candidates of reserved category who have also secured place in the merit list of unreserved category, shall have the option to choose the

Institution/Branch of unreserved category. If the candidates belonging to reserved category takes admission against the unreserved category according to their merit, they shall be counted under unreserved category.

(b) Candidates who have passed B.Sc. Examination shall be considered on the seats remaining vacant after giving admission to the diploma holder.";

(iv) For sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (4) **Mode of Selection**.—The competent authority duly declared as so by the State Government after receiving the applications from candidates shall prepare and notify a merit/waiting list on the basis of percentage of marks obtained in theory papers in the final year of qualifying examination.Inter se merit of candidates getting equal marks in the theory papers of the final year of qualifying examination shall be decided by giving preference to the person who has obtain more marks in qualifying examination. In case the marks obtained in qualifying examination are also equal weightage shall be given to the candidate who is older in age.";

(v) in sub-rule (5),—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

" (a) The admission into all the colleges/institutes offering under graduate professional course in Engineering (including technology) and Pharmacy shall be made by the competent authority through single window system in the order of merit on the basis of ranking prepared on the basis of percentage of marks obtained in the theory papers of qualifying examination of last year.";

(b) clause (b) shall be omitted.

(c) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

" (e) If seats remain vacant, after organizing one phase of centralized/decentralized online counseling based on the merit list prepared on the basis of percentage of marks obtained in the theory papers of qualifying examination of final year, institutional level counseling can be conducted with due approval of the competent authority before the last date of admission.";

(d) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—

" (k) In case it is decided to conduct counseling by online off campus system, it shall be conducted according to the provisions of sub-rule (12) of rule 7 of the Admission Rules, 2008."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.